बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् कैम्पस, आचार्य शिवपूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना–800004 (दूरभाषः–0612–2910314)
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U80301BR2011SGC015859, e-mail: bseidc@gmail.com, website; www.bseidc.in, Fax No.: 0612-2660256

पत्रांकः– BSEIDC/TECH/1302/2017-2242 पटना, दिनांक 24-03-17

प्रेषक,

केदार सिंह
मुख्य अभियंता

सेवा में,

मेसर्स बी० के० इंटरप्राइजेज,
ग्राम–धनपुरा, पो०–आरा, थाना–आरा टाउन,
जिला–भोजपुर, बिहार

विषयः– **जिला भोजपुर अंतर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय ग्रुप सं०–USS-07 का एकरारनामा सं०–42 SBD/2011-12 दिनांक–14.03.12 को Contract के Clause 3 (iii) के प्रावधानों के अंतर्गत विखंडित (Rescined) करने के संबंध में।**

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–479 दिनांक–08.09.15, कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमंडल का पत्रांक–553, दिनांक–18.11.16, पत्रांक–592, दिनांक–28.11.16 पत्रांक–669, दिनांक–24.12.16

महाशय,

उपर्युक्त वर्णित कार्य को पूर्ण करने की अवधि 12 (बारह) माह निर्धारित थी। लगभग 05 (पाँच) साल का समय बीत जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं कार्य काफी समय से बंद है।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा ससमय कार्य पूर्ण करने के लिए बार–बार निदेशित किया जाता रहा है, परन्तु आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

1. इस कार्यलय के पत्रांक–479 दिनांक–08.09.15 द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नही करने के कारण Debar किया गया।
2. कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमंडल के पत्रांक –554, दिनांक–18.11.16 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं करने तथा कार्य काफी समय से बंद रहने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया।
3. कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमंडल के पत्रांक–592 दिनांक–28.11.16 द्वारा बंद कार्य को प्रारंभ नहीं करने के कारण पुनः कारण पृच्छा की गई।
4. कार्यपालक अभियंता, पटना (पूर्वी) प्रमंडल के पत्रांक–669, दिनांक–24.12.16 द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं कारण पृच्छा का कोई उत्तर नही देने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित (Rescined) करने हेतु अनुशंसा की गई।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण करने के लिए आपको बार–बार अनुरोध/निदेशित किया जाता रहा है, परन्तु आपके द्वारा ससमय कार्य करने में कोई रूचि नहीं ली गयी।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं जनहित, लोकहित एवं कार्यहित में संविदा के कंडिका 3 (iii), (iv) एवं (V), 14 (iii) एवं 14 X(b) के अंतर्गत Contract Agreement संख्या 42 SBD of 2011-12 दिनांक–14.03.2012 को तत्काल प्रभाव से संवेदक के Risk and Cost पर विखंडित (Rescined) किया जाता है। साथ ही संवेदक के विरूद्ध Contract के कंडिका 3 (Vii) (a) के तहत Earnest Money Deposit, Security Deposit तथा Performance Guarantee जब्त की जाती है तथा संविदा के अन्य सुसंगत कंडिकाओं के अधीन अन्य कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन
23/03/2017
मुख्य अभियंता